राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(कार्यालय-बायोफ्यूल प्राधिकरण)

(तृतीय तल, बी-ब्लॉक, योजना भवन, सी-स्कीम, जयपुर, फोन: 2220672, फैक्स नं. 2224754, E-mail: biofuelraj@yahoo.co.in)

क्रमांक: प. 6(36)/ग्रा.वि./बीएफए/कम्पनीज/2019/436 दिनांक: 18.06.2019

::जैव-ईंधन (बायोडीजल बी-100) की बिक्री हेतु आम सूचना ::

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार की गजट अधिसूचना दिनांक 30.04.2019 के परिपेक्ष्य में राजस्थान राज्य में जैव-ईंधन (बी-100) की रिटेल बिक्री करने के लिए बायोफ्यूल प्राधिकरण, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में जैव-ईंधन के विनिर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं एवं विक्रेताओं हेतु पंजीयन प्रणाली लागू किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अतः पंजीयन प्रणाली के लागू होने से पूर्व राज्य में विभिन्न कम्पनियों द्वारा जैव-ईंधन की बिक्री के सम्बध में दिये जा रहे विज्ञापनों के आधार पर जैव-ईंधन के वितरण/विक्रय आदि सम्बधी कार्य हेतु किसी भी प्रकार का निवेश न करें। इस संबंध में किसी भी कम्पनी के साथ अनुबंध करने से पूर्व उसकी वैधता आदि के संबंध में इस कार्यालय से जानकारी प्राप्त करें अन्यथा आपके साथ होने वाली किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे एवं विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

-Sd-

(सुरेन्द्र सिंह राठौड)
सी.ई.ओ. एवं परि. निदेशक
बायोफ्यूल प्राधिकरण पदेन
संयुक्त शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग

राज.संवाद/सी/778/2019-2020